

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-वित्त/बजट) मध्य प्रदेश भोपाल

क्रमांक/कक्ष-3/बजट-1/2020/616
प्रति,

भोपाल, दिनांक 24/2/2020

1. मुख्य वन संरक्षक,
अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त रीवा।
2. वनमंडलाधिकारी,
भोपाल सामान्य वनमंडल/हरदा सामान्य वनमंडल/
दक्षिण सागर सामान्य वनमंडल/दमोह सामान्य वनमंडल/
उत्तर पन्ना सामान्य वनमंडल/सेंधवा सामान्य वनमंडल एवं
देवास सामान्य वनमंडल

विषय:-मांग संख्या 10-2406-01-101-0102-0812-00000000-12-000-मजदूरी मद में
अतिरिक्त बजट आवंटन वर्ष 2019-20

संदर्भ:-1. वनमंडलाधिकारी भोपाल सामान्य वनमंडल का पत्र क्रमांक/लेखा/1106
दिनांक 12.02.2020

2. मुख्य वन संरक्षक होशंगाबाद वृत्त का पत्र क्रमांक/वित्त-बजट/915
दिनांक 06.02.2020
3. मुख्य वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त रीवा का पत्र क्रमांक/अ.वि./
स्था./255 दिनांक 30.01.2020
4. मुख्य वन संरक्षक सागर वृत्त सागर का पत्र क्रमांक/व्यय/2020/155 दिनांक
27.01.2020 एवं पत्र क्रमांक/322 दिनांक 12.02.2020
5. वनमंडलाधिकारी उत्तर पन्ना सामान्य वनमंडल का पत्र पृष्ठांकन क्रमांक/
व्यय/2020/170 दिनांक 12.02.2020
6. मुख्य वन संरक्षक खंडवा वृत्त खंडवा का पत्र क्रमांक/व्यय/2020/889
दिनांक 05.02.2020
7. वनमंडलाधिकारी देवास सामान्य वनमंडल का पत्र क्रमांक/व्यय/बजट/
2020/1214,1216,1218 दिनांक 14.02.2020

-0-

संदर्भित विषयान्तर्गत मांग संख्या 10-2406-01-101-0102-0812-00000000
-12-000- मजदूरी मद में वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु बजट उपलब्धता के आधार पर एवं
स्थाईकर्मियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुये निम्नानुसार अतिरिक्त बजट आवंटन किया
जाता है :-


(राशि रूपयों में)

आहरण एवं संवितरण अधिकारी	अतिरिक्त आवंटित बजट
मुख्य वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त रीवा	7,50,000
वनमंडलाधिकारी भोपाल सामान्य वनमंडल	25,71,615
वनमंडलाधिकारी हरदा सामान्य वनमंडल	27,23,000

वनमंडलाधिकारी दक्षिण सागर सामान्य वनमंडल	40,00,000
वनमंडलाधिकारी दमोह सामान्य वनमंडल	31,00,000
वनमंडलाधिकारी उत्तर पन्ना सामान्य वनमंडल	15,56,000
वनमंडलाधिकारी सेंधवा सामान्य वनमंडल	8,31,000
वनमंडलाधिकारी देवास सामान्य वनमंडल	1,99,707
योग :-	1,57,31,322

अतः निम्नानुसार व्यय किया जाना सुनिश्चित करे :-

1. उक्त आवंटित राशि से स्थाई कर्मियों के ही वेतन भत्तों का भुगतान किया जाये। किसी अन्य मद का भुगतान शामिल न करें।
2. इस राशि से वनमंडल अंतर्गत सेवानिवृत्त/मृत्यु उपरांत स्थाईकर्मियों के उपादान आदि का भुगतान भी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति उपरांत करें। यदि आवंटित राशि से राशि कम पड़ती है तो इसका उल्लेख करते हुये पृथक से राशि की मांग करें।
3. कोषालय अधिकारी से संपर्क स्थापित कर मैपिंग कराया जाना सुनिश्चित करें।


(शुभरंजन सेन)


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट)

मध्य प्रदेश भोपाल

भोपाल, दिनांक 24/2/2020

पृ.क्र./कक्ष-03/बजट-1/2020/617
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन भोपाल की ओर लेखकर अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार कोषालय अधिकारियों को स्थाई कर्मियों की मैपिंग कराये जाने का निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अनुसंधान विस्तार एवं लोक वानिकी मध्यप्रदेश भोपाल।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी मध्यप्रदेश भोपाल की ओर प्रेषित। कृपया उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
4. मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीय वृत्त भोपाल/होशंगाबाद/रीवा/सागर/छतरपुर/खंडवा/उज्जैन, मध्यप्रदेश।
5. कक्ष प्रभारी, बजट आवंटन कक्ष, कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट) मध्यप्रदेश भोपाल, उक्त आवंटित राशि सर्वर में अपलोड करावें।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट)

मध्य प्रदेश भोपाल

24-02-2020


Bhanar Gupta
26/02
APCCF